संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 22 अक्टूबर, 1981

जी. एस. आर. 69 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (11) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा के अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिये ऋण की मंजूरी का विनियमन करने के लिये, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम:- इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (मोटर कार के क्रय के लिये ऋण) नियम, 1981 है।

2. लागू होना :-ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

3. ऋण के लिये निबन्धन तथा शर्तें :-उक्त अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिए जिन निबन्धनों और शर्तों पर ऋण मंजूर किया जा सकेगा, वे वही होंगी जो तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (मोटर कार के क्रय के लिए ऋण) नियम, 1965 में अन्तर्विष्ट हैं, और उक्त नियमों के उपबन्ध उक्त अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिए दिये गये ऋण पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[संख्या एफ. 7(6) संसद/81]
राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल कृष्ण शर्मा
शासन सचिव।